सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 746 राँची ,शुक्रवार 17 आश्विन , 1937 (श०)

9 अक्टूबर, 2015 (ई०)

योजना-सह- वित्त विभाग

संकल्प

5 अक्टूबर, 2015

विषय: राज्य सरकार के सेवकों को दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से देय महँगाई भत्ते की दरों में संशोधन ।

संख्या: वि०प्र० 6ए-12/2013/2937/वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-15 (ई०) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या- 1/3/2015-E०II(B), दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की मौजूदा दर को 113%

(एक सौ तेरह प्रतिशत) से बढ़ाकर 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने सेवीवर्ग को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से मूल वेतन का 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. झारखंड सेवा संहिता के नियम-34(ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार-पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

6. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़कर दिया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2875/वि॰ दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के क्रम में दिनांक 29 सितम्बर, 2015 की बैठक के मद सं॰ 10 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 746—50 ।